

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर
क.प्र.च.नं. बनाम रामदास

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र नं० 2/262/ सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

26.08.2022

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थी को आगामी आदेश तक जय्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 24.11.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नं० 511 रकबा 0.35 हैक्टे०, खाता संख्या 28 व इसी प्रकार खाता संख्या 24 खसरा नं० 461 रकबा 0.34 हैक्टे०, खाता संख्या 23 खसरा नं० 510 रकबा 0.32 हैक्टे० खसरा नं० 557 रकबा 0.04 हैक्टे०, 580 रकबा 0.38 हैक्टे०। वाके ग्राम सिरमोर तहसील रामगढ हाल तहसील गोविंदगढ जिला अलवर राज० में आगामी तारीख पेशी तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थी साधारण/रजिस्टर्ड ए०डी० से दिनांक 24.11.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। पत्रावली दिनांक 24.11.2022 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

20/2/23

आज यह पत्रावली अलवर से प्रिन्टर
पेश हुई। पत्रावली वाकते तलबी
दिनांक 10/05/23 को पेश हो।

